न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

लक्ष्मण सुन्देशा पुत्र ताराराम जी सुन्देशा, जाति- माली,
निवासी- महावीर कॉलोनी, गली नं.5, शिवगंज, जिला- सिरोही
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता)
फर्म:- लक्ष्मी सुपर मार्केट, गौशाला रोड, शिवगंज, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्या: 15/2020

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी लक्ष्मण सुन्देशा स्वयं

-: निर्णय :- दिनांक 05 मार्च, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 10.7.2019 को समय 11.00 ए.एम. पर फर्म लक्ष्मी सुपर मार्केट, गौशाला रोड, शिवगंज, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति लक्ष्मण सुन्देशा पुत्र तारराम जी सुन्देशा, जाति- माली, निवासी- महावींर कॉलोनी, गली नं. 5, शिवगंज, जिला- सिरोही है एवं फर्म लक्ष्मी सुपर मार्केट, गौशाला रोड, शिवगंज, जिला- सिरोही पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान में अलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) के 7x1 लीटर पैक्ड पैकेटो में से घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) के 4x1लीटर पैक्ड पैकेट जांच के लिये खरीद एवं उसकी कीमत रुपये 1600/- अदा की व खरीद रसीद बिल प्राप्त किया एवं फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल

....पेज दो पर

तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) के चारों नमूना पैक्ड पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-974 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता लक्ष्मण सुन्देशा ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूनें के चारो भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 11.7.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 10.7.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द ल्फिाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता लक्ष्मण सुन्देशा से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) का नमूना S-974 अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप पाया गया। जांच रिपोर्ट की प्रति विक्रेता लक्ष्मण सुन्देशा एवं निर्माता फर्म को भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को प्रस्तुत करे, जिस पर अपील आवेदन प्रस्तुत होने पर उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्तिभोग ब्राण्ड) के द्वितीय नमूनें को जांच हेतु रेफरल फूड लेब, मैसूर को भेजा गया। प्रकरण में निदेशक, रेफरल फूड लेब, मैसूर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार

....पेज तीन पर

उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-974 अमानक (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को पेश कर अभियोजन प्राप्त की गई। प्रतिवादी अभियुक्त ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) का विक्रय करके अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया हैं। अतः उक्त अधिनियम की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 04.3.2020 को प्रतिवादी अभियुक्त लक्ष्मण सुन्देशा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसमें यह अंकित किया है कि दिनांक 10.7.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जो घी (शक्ति भोग ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार Sub-standard पाया गया था। वह मुझे सेल्स प्रमोशन स्कीम के तहत प्राप्त हुआ था, इसलिये उसका बिल मेरे पास उपलब्ध नही है। मैनें पैकिंग अवस्था में ही घी बिक्री के लिये प्राप्त किया था एवं पेकिंग अवस्था में ही नमूने के लिये बेचा था। मैनें मेरी ओर से इसमें कुछ नही मिलाया था। भविष्य में बिल सहित माल क्रय करुंगा। मै मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। भविष्य में इसका ध्यान रखूंगा। मैनें नई-नई दुकान खोली थी, इसलिये पूरा अनुभव नही था। आगे से पुरा ध्यान रखूंगा। कृपया मुझे इस प्रकरण में मुक्त करावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी लक्ष्मण सुन्देशा द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 04.3.2020 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान परिवाद में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्त ने अमानक खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि उसने खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) में कोई मिलावट नही की है, यह खाद्य पदार्थ पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया था, लेकिन इस खाद्य पदार्थ का बिल मेरे पास नही है। यह मेरी प्रथम गलती है, मै भविष्य में बिल से माल खरीद कर विक्रय करुंगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण को समाप्त करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.7.2019 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म लक्ष्मी सुपर मार्केट, गौशाला रोड, शिवगंज, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म लक्ष्मी सुपर मार्केट, गौशाला रोड, शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं

....पेज चार पर

विक्रेता की हैसियत से लक्ष्मण सुन्देशा पुत्र ताराराम जी सुन्देशा, जाति- माली, निवासी- महावीर कॉलोनी, गली. 5, शिवगंज, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म लक्ष्मी सुपर मार्केट, गौशाला रोड, शिवगंज के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता लक्ष्मण सुन्देशा को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। उक्त फर्म लक्ष्मी सुपर मार्केट, गौशाला रोड, सिरोही में आलमारी की रैक में आमजन के उपयोग हेतु बिक्री के लिये रखे हुये खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) के 7 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक एक लीटर) में से खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक लीटर) जांच के लिये खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 1600/- (अक्षरे राशि रुपये एक हजार छः सौ मात्र) विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता लक्ष्मण सुन्देशा को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता लक्ष्मण सुन्देशा एवं उक्त गवाहों तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-974, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता लक्ष्मण सुन्देशा एवं उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-974 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता लक्ष्मण सुन्देशा व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता लक्ष्मण सुन्देशा व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म लक्ष्मी सुपर मार्केट, गौशाला रोड, शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता लक्ष्मण सुन्देशा से खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) को नमूना जांच हेतु क्रय करने

....पेज पांच पर

की कार्यवाही विधिवत की है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतिया तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा दिनांक 11.7.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 10.7.2019 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-974 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./542/Act/2019/596 दिनांक 18.7.2019 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म लक्ष्मी सुपर मार्केट, गौशाला रोड, शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता लक्ष्मण सुन्देशा से वास्ते नमूना जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) का नमूना अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप पाया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2019/9360-63 दिनांक 29.7.2019 से प्रतिवादी लक्ष्मण सुन्देशा व निर्माता फर्म को उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील आवेदन 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिस पर प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को अपील आवेदन प्रस्तुत होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) नमूना संख्या S-974 के द्वितीय भाग को जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेट्री, मैसूर को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेट्री, मैसूर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) नमूना संख्या S-974 का प्रेषित Certificate of analysis No:421F/FSSA/2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि प्रतिवादी लक्ष्मण सुन्देशा ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) की खरीद का बिल प्रस्तुत नही किया एवं न ही इस न्यायालय में बिल प्रस्तुत किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी लक्ष्मण सुन्देशा ने अमानक

....पेज छः पर

(Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (श्री शक्ति भोग ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी लक्ष्मण सुन्देशा पुत्र ताराराम जी सुन्देशा, जाति- माली, निवासी- महावीर कॉलोनी, गली नं.5, शिवगंज, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म लक्ष्मी सुपर मार्केट, गौशाला रोड, शिवगंज, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी लक्ष्मण सुन्देशा पुत्र ताराराम जी सुन्देशा, जाति- माली, निवासी- महावीर कॉलोनी, गली नं.5, शिवगंज, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.20 10:49:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: